संख्या-07/2017/974/एस.ची.उ.अनु.-1/17-1000(44)/2017

प्रेषक,

नरेश बहादुर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी,
(संलग्नक में इंगित जनपदों के अनुसार)

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 28 अगस्त, 2017

विषयः- गन्ना विकास योजना (जिला योजना) में अनुदान संख्या-83 के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि रु. 260.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गन्ना विकास योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु **अनुदान संख्या-83** (अनुसूचित जाति) में प्राविधानित धनराशि रू0 2,60,00,000 (रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र) के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना पर प्रशासकीय अनुमोदन सहित, **संलग्नक** के विवरण के अनुसार, जनपदवार/कार्यक्रमवार निर्धारित किये गये फांट/लक्ष्य के अनुरूप व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि जनपद विशेष में उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में परिव्यय का प्राविधान/ आवंटन किया गया है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि से केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को ही लाभान्वित किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग सामान्य तथा अन्य वर्ग के लाभार्थियों के लिये नही किया जायेगा।

3- जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत धनराशि से अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को भी योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाय। इससे इतर व्यय अनियममितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी का होगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-2043सी.डी./46-3-12-1000(38)/2012, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाईड-लाईन्स) तथा वन विभाग के शासनादेश संख्या-2464/14-5-2015-123/2015, दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। तदहेतु इस शासनादेश के संलग्नक के कालम-10 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर संबंधित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपदों से उभर कर आये परिव्यय की सीमा तक व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का वितरण सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों द्वारा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के अनुमोदन से किया जायेगा। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-8-2017 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2018) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

7- आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

8- गन्ना आयुक्त, उ.प्र. एवं सम्बन्धित अधिकारी, गन्ना विकास विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी. हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाय।

9- योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, इलाहाबाद तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

10- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

11- स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से ही किया जायेगा।

12- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के **अनुदान संख्या-83** के अर्न्तगत लेखा शीर्ष **"2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-गन्ना विकास योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी"** के नामे डाला जायेगा।

13- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-8-2017 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र02015, दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-07/2017/947(1) एस.ची.उ.अनु.-1/17-1000(44)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद
3- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र. शासन।
5- प्रमुख सचिव, वन अनुभाग-5, उ.प्र. शासन।
6- गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
7- प्रमुख वन संरक्षक, उ.प्र., लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
9- संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
10- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
11- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
12- संबंधित जनपदों के संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, उ.प्र.।
13- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
14- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,
16- बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग ।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-07/2017/947/एस.ची.उ.अनु.-1/17-1000(44)/2017, दिनांक 28 अगस्त, 2017 का संलग्नक

(धनराशि रूपये में)

क्र० सं०	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	अभिजनक बीज यातायात कर्येक्रम	आधार बीज यातायात कार्यक्रम	मृदा एवं बीज उपचार कार्यक्रम	पेडी प्रबन्धन कार्यक्रम	बायोफर्टिलाई जर/वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रम	वानिकी कार्यक्रम हेतु	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सहारनपुर	152350	358525	2790	21350	120500	180450	114622	4778	955365
2	मुजफ्फरनगर	256150	602750	4695	35889	202000	303450	192970	8030	1605934
3	शामली	103100	242475	1890	14434	81500	121950	77768	3232	646349
योग मण्डल		**511600**	**1203750**	**9375**	**71673**	**404000**	**605850**	**385360**	**16040**	**3207648**
4	मेरठ	219750	516975	4020	30786	173500	260250	165313	6887	1377481
5	गाजियाबाद	34500	81200	630	4830	27000	40800	25920	1080	215960
6	बुलन्दशहर	92800	218250	1695	12992	73000	109800	69694	2906	581137
7	बागपत	142400	335000	2610	19950	112500	168600	107137	4463	892660
8	हापुड़	42100	99125	765	5901	33500	49800	31679	1321	264191
योग मण्डल		**531550**	**1250550**	**9720**	**74459**	**419500**	**629250**	**399743**	**16657**	**3331429**
9	मुरादाबाद	110100	258875	2010	15414	87000	130200	82353	3447	689399
10	रामपुर	53900	126875	990	7553	42500	63750	40909	1691	338168
11	अमरोहा	133250	313425	2445	18669	105000	157650	100226	4174	834839
12	सम्भल	66250	155900	1215	9282	51500	78450	48932	2068	413597
13	बिजनौर	424650	999000	7785	59493	335000	502800	319691	13309	2661728
योग मण्डल		**788150**	**1854075**	**14445**	**110411**	**621000**	**932850**	**592111**	**24689**	**4937731**
14	बरेली	158850	373675	2910	22253	125500	188100	119820	4980	996088
15	बदायूं	41700	98100	765	5838	33000	49350	31691	1309	261753
16	पीलीभीत	141300	332500	2595	19796	111500	167250	106570	4430	885941
17	शाहजहांपुर	126900	298500	2325	17780	100000	150150	95624	3976	795255
18	कासगंज	8500	19950	150	1183	6500	10050	6335	265	52933
19	अलीगढ	22050	51975	405	3094	17500	26100	16707	693	138524
योग मण्डल		**499300**	**1174700**	**9150**	**69944**	**394000**	**591000**	**376747**	**15653**	**3130494**
20	लखीमपुर खीरी	521700	1227475	9555	73094	412000	617850	392846	16354	3270874
21	सीतापुर	293600	690725	5385	41132	231500	347850	221197	9203	1840592
22	रायबरेली	4750	11200	90	665	4000	5550	3451	149	29855
23	फरूर्खाबाद	20000	47150	360	2807	16000	23700	14972	628	125617
24	हरदोई	75750	178175	1395	10605	60000	89700	57025	2375	475025
25	कानपुर	13350	31425	240	1869	10500	15750	9783	417	83334
योग मण्डल		**929150**	**2186150**	**17025**	**130172**	**734000**	**1100400**	**699274**	**29126**	**5825297**
26	फैजाबाद	64300	151200	1185	9009	50500	76350	48385	2015	402944

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

27	सुल्तानपुर	16000	37700	300	2240	12500	18900	12099	501	100240
28	बाराबंकी	15050	35400	270	2107	12000	17700	11527	473	94527
29	जौनपुर	4950	11625	90	693	4000	5850	3446	154	30808
30	गाजीपुर	7300	17125	135	1015	6000	8550	5769	231	46125
31	वाराणसी	5650	13350	105	798	4500	6900	4022	178	35503
32	अम्बेडकरनगर	35900	84475	660	5033	28500	42450	27671	1129	225818
योग मण्डल		**149150**	**350875**	**2745**	**20895**	**118000**	**176700**	**112919**	**4681**	**935965**
33	गोण्डा	128900	303150	2355	18046	101500	152550	97960	4040	808501
34	बलरामपुर	153600	361425	2820	21525	121000	181950	115785	4815	962920
35	बहराईच	121450	285725	2220	17010	96000	143850	92189	3811	762255
योग मण्डल		**403950**	**950300**	**7395**	**56581**	**318500**	**478350**	**305934**	**12666**	**2533676**
36	गोरखपुर	4000	9525	75	567	3000	4800	2875	125	24967
37	बस्ती	98750	232325	1815	13839	78000	116850	74305	3095	618979
38	महराजगंज	30800	72500	570	4312	24500	36600	23034	966	193282
39	सिद्धार्थनगर	2050	4900	45	294	1500	2550	2331	69	13739
योग मण्डल		**135600**	**319250**	**2505**	**19012**	**107000**	**160800**	**102545**	**4255**	**850967**
40	देवरिया	14200	33275	255	2030	11000	18000	10352	448	89560
41	कुशीनगर	136700	321775	2500	19152	108000	161950	103312	4288	857677
42	मउ	16950	39950	315	2373	13500	20100	12668	532	106388
43	बलिया	6250	14775	120	875	5000	7650	4603	197	39470
44	आजमगढ	24450	57575	450	3423	19500	29100	18432	768	153698
योग मण्डल		**198550**	**467350**	**3640**	**27853**	**157000**	**236800**	**149367**	**6233**	**1246793**
सम्पूर्ण योग		**4147000**	**9757000**	**76000**	**581000**	**3273000**	**4912000**	**3124000**	**130000**	**26000000**

(रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र)

नोटः& जनपद शामली, हापुड, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी@बीज उत्पादन अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा फैजाबाद द्वारा आहरित कर इन जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(नरेश बहादुर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।